संख्या- 127 /2023/ 733 /चार-2023-66(बजट)/2007

प्रेषक ,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2023

विषय- जनपद लखनऊ लाल बारादरी भवन में स्थित राज्य ललित कला अकादमी की वीथिकाओं, कार्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं अन्य विविध व्यवस्थाओं हेतु धनराशि की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 4187/सं0नि0-6(94)/2015-16 दिनांक 03 मार्च, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ लाल बारादरी भवन में स्थित राज्य ललित कला अकादमी की वीथिकाओं, कार्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं अन्य विविध व्यवस्थाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 ललित कला अकादमी, लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख के सापेक्ष रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्न शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

1- लाल बारादरी भवन स्थित राज्य ललित कला अकादमी उ0प्र0 की वीथिकाओं के कार्य सहित आन्तरिक सौन्दर्यीकरण, फर्नीशिंग आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य अकादमी द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा। समस्त कार्य नियमानुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय व निदेशक, ललित कला अकादमी लखनऊ का होगा।

2- राज्य ललित कला अकादमी द्वारा इस भवन का कार्य पुरातत्व विभाग के अधिकारी एवं कंजर्वेशन विशेषज्ञ के संयुक्त सुपरविजन में कराया जायेगा जिससे संरक्षित स्मारक लाल बारादरी भवन के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन न हो।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्कतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-45/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92-के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-101-ललित कला शिक्षा-06-उ0प्र0 ललित कला अकादमी, लखनऊ को अनुदान -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7- 449 /दस-2022-23 दिनांक 19 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 127 /2023/ 733 (1)/चार-2023-66(बजट)/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी , लखनऊ
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।